तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 51/2021 अनवान गोरधनसिंह बनाम गजेसिंह**	नम्बर व तारीखअहकाम इस हुकम की तामील मे जारी हुए

09/08/21

आदेश

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 से 06 व 08 से 14 के वकील उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 07 को नोटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुका है। आज बावजूद सुचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्रवाई अमल में लाई गई। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी मौजा बाडमेर गादान पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 3304/2274 रकबा 07.17 बीघा भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 06 व 08 से 14 का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 01 से 06 व 08 से 14 का खेत प्रार्थी के पड़ौस में आया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 01 से 06 व 08 से 14 के खेत की सीमाओं को छोड़ते हुए तथा अप्रार्थीगण की उपस्थिति में प्रार्थी के खेत की नेखमबन्दी की जाती है तो अप्रार्थीगण को कोई आपति नही है।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है। अप्रार्थीगण जवाब में उल्लेखित तथ्यों का मौके पर पैमाईश के दौरान ज्ञान होगा और उसी अनुसार कार्रवाई संभव होगी। वर्तमान में अभिलिखित खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाने का आवेदन स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा बाडमेर गादान पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 3304/2274 रकबा 07.17 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री रोहित चौहान, आर.ए.एस

दिनांक – 15/09/21

क्रमांक रीडर/2021/ 4596

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 गोरधनसिंह पुत्र जोगराजसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बाडमेर गादान तहसील व जिला बाडमेर।		1 गजेसिंह 2 मेहताबसिंह 3 ओमसिंह 4 दलसिंह पिसरान नीम्बसिंह 5 कमला पत्नी नीम्बसिंह 6 मूलसिंह पुत्र दुर्गसिंह 7 चन्द्री पत्नी दुर्गसिंह 8 पवनी पत्नी मांगुसिंह 9 उदयसिंह 10 हस्तुकंवर 11 नेनूकंवर पिसरान मांगुसिंह 12 कमलसिह पुत्र हनुमानसिंह 13 तारसिंह पुत्र नगसिंह 14 ओमसिंह पुत्र भंवरसिंह प्रधानाचार्य राप्रावि बाडमेर गादान जाति रावणा राजपूत निवासी बाडमेर गादान तहसील व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

दिनांक– 09.09.21

राजस्व आवेदन संख्या :– 51/2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बाडमेर गादान पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 3304/2274 रकबा 07.17 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्त्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2021/ 4597-600

दिनांक– 15/09/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाडमेर आगोर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. गोरधनसिंह पुत्र जोगराजसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बाडमेर गादान तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी गजेसिंह पुत्र नीम्बसिंह वगैराह जाति रावणा राजपूत निवासी बाडमेर गादान तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर